(53)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर,

प्र. क्र. /निगरानी/टीकमगढ़/भूराजस्व/2018

निगरानी-4632/2018/टीकमगढ़/भू०रा०

दिनांक 27-7-18 को श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत

27.7.18

पं०दि० 1-8-18

सुखदयाल पुत्र श्री तातेयादव निवासी बलवंतपुरा खास तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ .....प्रार्थी

बनाम

(1) रतना पुत्र श्री पनुबा
(2) मु0रम्मु बेवा खरगा
(3) बब्लू
(4) घनश्याम
(5) धर्मदास पुत्र श्री खरगा निवासीगण ग्राम बलवंतपुरा खास तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक खरगापुर वृत्त खरगा(तहसील खरगापुर) के प्रकरण कमांक 98/2017–18 अ–12 में पारित आदेश दिनांकी 04.07.2018 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त खरगापुर के समक्ष ग्राम बलवंतपुरा खास के सर्वे कमांक 593, 595, 596, कुल किता–3 कुल रकवा 2.020हे0 भूमि का सीमांकन कराए जाने बावत् दिनांक 17.05.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी उक्त सर्वे कमांक का चौमडियॉ कृषक है राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने से पूर्व कोई व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नही किया गया और ना ही सीमांकन के समय प्रार्थी को उपस्थित रहने बावत् सूचना दी और ना ही सीमांकन कार्यवाही पर प्रार्थी के हस्ताक्षर कराए गए । दिनांक 23.06.2018 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में मौके पर सीमांकन नियमों का पालन किये बगैर सर्वे कमांक 596 के अंश भाग 0.315हे0 भूमि पर प्रार्थी का अवैध कब्जा पाते हुये अपना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4632/2018/टीकमगढ़/भू.रा. सुखदयाल विरूद्ध रतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खरगापुर वृत्त खरगा के सीमांकन आदेश दिनांक 04-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	